

कलकत्ता हुकम	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>दीदार खां बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 203/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
06.12.19	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिदार खां पुत्र चांद खां मु0 पो0 झंवर तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.09..2019 में उसके द्वारा (1) दिनांक 15.07.19 को मैंने गांव झंवर त0 लूणी जिला जोधपुर से ग्रामीणों के साथ जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर पेश होकर आवेदन किया उस आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही अर्थात् दैनिक प्रगति रिपोर्ट बाबत व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आजदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

